संख्या- 70 / 2020 / 438 / चार-2020

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 17 मार्च 2020

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ के लिए मनोनीत उपाध्यक्ष को अनुमन्य सुविधाओं हेतु अतिरिक्त धनराशि की मॉग पुनर्विनियोग के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्यक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4731/सं0नि0-20(पुनर्विनियोग)/2019-20 दिनांक 14 फरवरी, 2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ के लिए मनोनीत उपाध्यक्ष को अनुमन्य सुविधाओं हेतु अतिरिक्त धनराशि रू0 6.00 लाख (रूपये छ: लाख मात्र) की धनराशि की संलग्न विवरण के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा । चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

4- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत 2205-कला एवं संस्कृति 001-निदेशन एवं प्रशासन 03-संस्कृति निदेशालय 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) 104-अभिलेखागार 03- राज्य अभिलेख 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) में उपलब्ध बचतों को सक्रमित कर 2205 कला एवं संस्कृति-101-ललित कला शिक्षा 16-उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान को अनुदान 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 , दिनांक 22 मार्च, 2019 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
(एस0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 70 /2020 / 438 (1)/चार-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- निदेशक, उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
(एस0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

फार्म-बी0एम0-09(भाग-1)
पुनर्विनियोग स्वीकृति के लिए आवेदन
(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
अनुदान संख्या व नाम- 92- संस्कृति विभाग वित्तीय वर्ष 2019-20 प्रपत्र बी0एम0-09(भाग-1)

(धनराशि लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग
1	2	3	4	5	6
2205-कला एवं संस्कृति 001-निदेशन एवं प्रशासन 03-संस्कृति निदेशालय 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00
104- अभिलेखागार 03- राज्य अभिलेख 52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00
योग			6.00	6.00	0.00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक आयोजनागत	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात अनुदान/ विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
2205 कला एवं संस्कृति- 101-ललित कला शिक्षा 16-उ0प्र0 जैन विद्या शोध संस्थान को अनुदान 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	41.50	47.50	6.00	6.00	47.50
योग	41.50	47.50	6.00	6.00	47.50

(1) स्तम्भ में उपलब्ध बचत का कारण नियमानुसार- मिव्ययियता एवं आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।

(2) स्तम्भ -8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ -9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मॉग की जा रही है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पर हेतु पुनर्विनियोग को स्वीकृत करने में बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 एवं 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/ परिसीमाओं का उपलंघन नहीं होता है।

संख्या- **आर-ई- 526 /ई-7- /दस-2020**
दिनांक **06 मार्च 2020**
सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश , इलाहाबाद।

(एस0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

(राजेन्द्र राम)
अनु सचिव।
वित्त विभाग

संख्या- 70 / 2020 / 438 (1)/चार-2020 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,
(एस0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।